कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–प्रारं/बजट/बी–3/9702/2017–18/134 दिनांकः–18.07.2017

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा भीलवाड़ा।

OFFICE I.D. 1581

विषयः–वित्तीय वर्ष 2017–18 में चिकित्सा व्यय अन्तर्गत राशि आवंटन।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार आपके मांग पत्र के क्रम में **मांग संख्या–24** के तहत लेखामद **2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, (08)–बालिकाओं के लिए उ.प्रा.वि., [01]–बालिकाओं के विद्यालय का संचालन व्यय–प्रतिबद्ध 04–चिकित्सा व्यय (राज्य निधि)** अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए राशि **रूपये 44,000/– (अक्षरे रूपये चवालिस हजार मात्र)** का आवंटन किया जाता है।

उक्त राशि का आवंटन **श्रीमती किरण शर्मा, अध्यापिका, रा.बा.उ.प्रा.वि. भोपालगंज–भीलवाड़ा के गम्भीर रोग उपचार** पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु किया जा रहा है। राशि का उपयोग सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2008/2013 के अनुसार किया जावे।

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/कोषालय/23484–23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत आई.एफ.एम.एस के अन्तर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक बुक किये गये आय व्यय के आंकड़ो का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जाये।

उपरोक्त राशि का आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है कि राशि का भुगतान सम्बन्धित कर्मचारियों को चिकित्सा पुनर्भरण नियमानुसार करने का दायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

वित्तीय सलाहकार
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः–
1. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान जयपुर।
2. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग।
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान/योजना अनुभाग।
4. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार